जिला आपदा प्रबन्ध योजना, जनपद– फिरोजाबाद।

बर्ष : 2017–18

जिलाधिकारी कार्यालय, फिरोजाबाद।

सम्पर्क सूत्र :

फोन नं० 05612-285217 या टोल फ्री नं० १०७७

वेबसाइटः firozabad.up.nic.in

जिला आपदा प्रबंधन

एवं

न्यूनीकरण योजना

2017 - 2018

जनपद–फिरोजाबाद

(उदय सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
फिरोजाबाद

(नेहा शर्मा)
जिलाधिकारी
फिरोजाबाद

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

—: प्रस्तावनाः—

सामान्य तौर पर आपदा का तात्पर्य किसी ऐसी दुर्घटना से लगाया जाता है, जिसका सामना करने के लिये कोई व्यक्ति या समूह अपने आप में तैयार एवं समर्थ न हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम— 2005 में आपदा को दैवी, मानव जनित, दुर्घटना, दुर्घटना अथवा लापरवाही से हुई किसी ऐसी बडी दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया , जिसमें व्यापक जन—धन की हानि, पर्यावरण की क्षति कारित हो तथा प्रभावित क्षेत्र के लोग उसका सामना करने में असमर्थ हों। परम्परागत रूप से दैवी आपदा जैसे बाढ, सूखा, अग्निकाण्ड, आकाषीय बिजली, ओलाबृत्ति, आदि के उपरान्त पीडितों को राहत सहायता उपलब्ध कराना राज्यों का मुख्य कार्य होता रहा है। नई परिस्थितियों में अनेक मानव जनित दुर्घटनाऐं इस प्रकार की होती है, जिसका असर दैवीय आपदाओं के बराबर या उससे अधिक हो। इसी कारण आपदा की वर्तमान अवधारण में दैवीय आपदाओं के साथ ही मानव जनित कारकों को भी शामिल किया गया है तथा आपदा प्रबन्धन में पूर्व तैयारी एवं पुर्नवास का राष्ट्रीय नेटवर्क, राहत वितरण के साथ ही शामिल किया गया है। वर्तमान में आपदा प्रबन्धन का उद्देष्य इस तरह की घटनाओं को यथा संम्भव रोकना , आपदा के प्रभाव को कम करना, आपदा के दौरान सीधे मदद पहुॅचाना, प्रभावितों को आपदा से उबरने में मदद एवं उनका पुनर्वास करना है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम—2005 के अर्न्तगत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणका गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन दिनांक—26.04.2011 को किया गया है। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गठन का उद्देष्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर से बनायी गयी नीतियों का अनुपालन एवं अनुश्रवण, जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं में बेहतर ताल मेल स्थापित कर आपदा की पूर्व तैयारी, आपदा की दषा में त्वरित कार्यवाही तथा राहत एवं पुर्नवास कार्यों का बेहतर संचालन करना है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के अध्यक्ष पदेन जिलाधिकारी सहित कुल 7 सदस्य हैः—

जिलाधिकारी फिरोजाबाद	जिला पंचायत अध्यक्ष	पुलिस अधीक्षक	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अधिषासी अभियन्ता लोक नि0 वि0 खण्ड	अधिषासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड
पदेन अध्यक्ष	पदेन सह अध्यक्ष	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य/सचिव	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य

जनपद फिरोजाबाद में परम्परागत रूप से बाढ सूखा की अलग—अलग प्रबन्ध योजना बनती रही है। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के बाद उसकी देख रेख मं एकीकृत प्रबन्ध योजना बनायी जा रही है।

फिरोजाबाद की आपदा प्रबन्ध योजना को चार भागों में बाटा गया है। सुविधा के लिये प्रत्येक भाग में कुछ अध्याय बनाये गये है। प्रथम भाग मे ऐसे विषयों को रखा गया है, जो विभिन्न आपदाओं की तैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने, क्षमता विकास आदि से संम्बन्धित है। द्वितीय भाग जिले से संम्बन्धित आपदाओं के प्रबन्धन से संम्बन्धित है। तृतीय भाग में योजनाओं के कियान्वयन का फीड बैक, रिपोटिंग व्यवस्था आदि विषय है। चतुर्थ भाग में महत्वपूर्ण शासनादेश, महत्वपूर्ण टेलीफोन नंम्बर, जिले का नक्शा आदि है।

अध्याय– 1

जनपद फिरोजाबाद– एक परिचय

जनपद फिरोजाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 315 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। इसकी सीमायें पूरब में इटावा पश्चिम आगरा,मथुरा तथा उत्तर में एटा मैनपुरी दक्षिण में आगरा को छूती है। यमुना केन मुख्य नदियॉ है। जनपद सड़क एवं रेल मार्ग से जुडा हुआ है। जनपद में कुल 825 राजस्व ग्राम, 5 तहसीलें, 9 विकास खण्ड, 21 थाने, 2 नगर पंचायतें एवं एक नगर निगम जिसका सृजन 04.08.2014 को हुआ है, व 03 नगरपालिकाएं है। चिकित्सा की दृष्टि से जनपद स्तर पर एक महिला चिकित्सालय, पुरूष चिकित्सालय के अतिरिक्त 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है एवं नवीन प्रा0स्वा0के0 52 तहसील स्तरीय चिकित्सालय 01,डी टाइप स्वास्थय केन्द्र महिला 01, कुल कार्यरत ए0एन0एम0 214 कुल स्थापित ओ0एस0 घर 340 कुल चिकित्साधिकी 53 संविदा चिकित्साधिकारी 55 है।

जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। जनपद की जमीन बहुत उपजाऊ है। रबी की मुख्य फसल गेंहू तथा खरीफ की मुख्य फसल बाजरा है। उद्योग धन्धों की संख्या काफी होने के कारण आर्थिक दृष्टि से जिले की गणना जिलों में होती है। जिला राजनैतिक दृष्टि से संम्वेदन शील एवं महत्वपूर्ण है। एक लोक सभा क्षेत्र तथा 05 विधान सभा क्षेत्र जिले में शामिल है।

2011 में सम्पन्न जनगणना के अनन्तिम आकडें जनपद की स्थित को और स्पष्ट करते हैः–

जनसंख्या

	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	लिंगानुपात
ग्रामीण	1608994				
नगरीय	806692				
योगः–	2415685				

साक्षरता

	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	साक्षरदर
ग्रामीण					
नगरीय					
योगः–					

जनसंख्या की दृष्टि से जिला प्रदेश में चतुर्थ स्थान पर है। पिछडे जिलों में गणना के बाबजूद बेहतर लिंगानुपात की दृष्टि से जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।

मानचित्र : जनपद फिरोजाबाद

DISTRICT MAP OF FIROZABAD

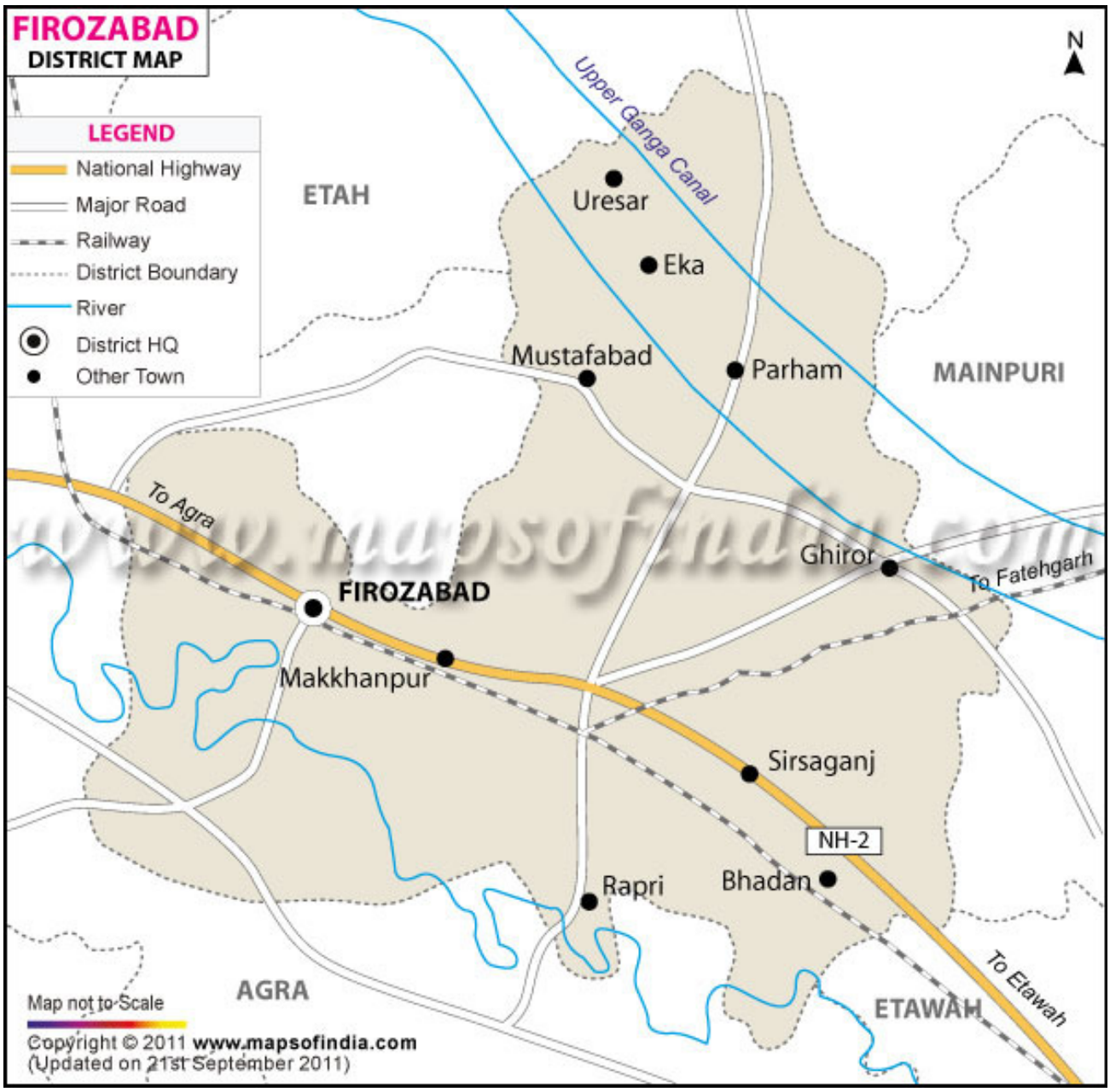

अध्याय– 2

आपदा–इतिहास एवं संभावनाः–

जनपद फिरोजाबाद में बाढ का कोई इतिहास नही रहा है , सूखा, अग्निकाण्ड, ऑधी, तूफान, ओलावृष्टि शीत लहरी जैसी परम्परागत दैवी आपदायें आती रही है।

1– बाढ

(1) यमुना नदी जो तहसील फिरोजाबाद, शिकोहाबाद से होकर गुजरती है, में ओखला वैराज से पानी छोडे जाने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती है।

(2) केन नदी तहसील जसराना से होकर गुजरती है।

2–सूखा–

कम वर्षा के कारण वर्ष 2004–2005 में जनपद सूखाग्रस्त घोषित हुआ है। सूखे से खरीफ की फसल को क्षति पहुॅचने के पश्चात जनपद का इतिहास सूखे से प्रभावित नही रहा है। सूखे के कारण अब तक ऐसी स्थित नहीं आयी है, जिसमें किसी गॉव की आवादी या पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाना पडा हो अथवा टैंकर से जलापूर्ति करनी पडी हो। भुखमरी की स्थित भी अब तक नहीं पैदा हुयी है।

3– अग्निकाण्ड

जनपद के विभिन्न भागों में अग्निकाण्ड से प्रतिवर्ष व्यापक नुकसान होता है। अग्निकाण्ड की घटनाऐं प्रायः फरबरी से जून तक के महीने में होती है वर्ष 2010 में सर्वाधिक 410 घटनायें अग्निकाण्ड की हुई थी, जिसमें 1 मनुष्य एवं 59 पशुओं की मृत्यु हुई थी। जिसके बाद छुट–पुट घटना हुई है।

4– **ओलावृत्ति एवं शीतलहरी** से यदा कदा धन एवं जन की हानि होती रही है। आधी तूफान से भी जन धन की हानि हुई है, किन्तु ओलाबृष्टि, शीत लहरी ऑधी तूफान से किसी बडी घटना का इतिहास इस जनपद का नहीं है।

5–**भूकम्प एवं साइक्लोन (चक्रवात)** का कोई इतिहास इस जनपद का नहीं रहा है। भूकम्प की दृष्टि से जनपद फिरोजाबाद जोन–3 में आता है, जो मध्यम दर्जे की खतरनाक स्थित है, किन्तु जनपद जोन–4 के नजदीक है, जिससे भूकम्प की दृष्टि से जनपद के कोई विषेष संवेदनशीलता नहीं पायी जाती है।

6–**मानव जनित आपदाओं की आषंका**– जनपद आजमगढ का कोई अतिहास मानव जनित आपदाओं के संन्दर्भ में नहीं रहा हैं वर्तमान कार्य योजना में इसे शामिल किया गया है, क्यों किसी आपदा स्थित से निपटने हेतु संसाधनों की पहचान एवं मानसिक तैयारी, खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायों की जानकारी से इस प्रकार के खतरों से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

अध्याय– 3
आपदा प्रबन्ध में विकास कार्यों की भूमिका :–

आपदाऐं व्यापक पैमाने पर जन–धन को क्षति पहुॅचाती है और इसका सीधा नुकसान इस क्षेत्र के विकास कार्यों को पहुॅचाता है। विकास की स्थिरता एवं निरन्तरता के लिये विकास के विभिन्न पहलुओं को आपदा प्रबन्धन से जोडने में है, जिससे क्षति कम से कम हो, और क्षति की भरपाई शीघ्रता से हो सके,। इस तथ्य को स्वीकार करते हुये और इस पर बल देने के लिये 10 वीं पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबन्धन को जोडता है।

जिले स्तर पर बाढ, सूखा, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, निर्माण आदि क्षेत्रों में गतिमान कई योजनाओं को विकास योजनाओं से संम्बद्ध किया जा सकता है। कार्यक्रमों एवं उनसे जुडे विभागों, अधिकारियों के कुछ उदाहरण निम्नवत समझे जा सकते है।

नोडल अधिकारी	कार्यक्रम	कार्य कौन करेगा/कब करेगा
कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों के रोजगार कार्यक्रमों, जिला योजना, प्रदूषण–नियन्त्रण, निर्माण आदि की निगरानी।	विभागीय अधिकारी योजनाओं के कियान्वयन एवं मूल्यांकन के समय।
मुख्य विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम जैसे – रोजगार गारण्टी योजना	सूखा, बाढ , भूकम्प की स्थित में खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से रोजगार सृजन
अधिशासी अभियन्ता जल निगम	ग्रामीण पेयजल योजना	सूखा, बाढ , भूकम्प आदि के समय स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अपनी पाइप लाइनों का रख रखाव आदि।
जिला पंचायत राज अधिकारी	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	सफाई/पंचायत कर्मचारियों के माध्यम से स्वच्छता एवं जागरूकता सुनिश्चित कराना।
बेसिक शिक्षा अधिकारी	सर्व शिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन योजना, आदि अन्य विभागीय योजनाऐं।	विद्यालयों को भूकम्प रोधी बनाना विद्यालयों का रख, रखाव इस हिसाब से करना कि उसका उपयोग शरणालय के रूप में भी हो सके। छात्रों एवं शिक्षकों के माध्यम से आपदा प्रबन्धन के प्रति संम्बेदनशीलता एंव जागरूकता पैदा करना।
जिला कृषि अधिकारी	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	बाढ के समय नष्ट हुई फसलों की भरपाई हेतु देर से बोई जाने वाली प्रजातियों की उपलब्धताएवं जागरूककता। इसी प्रकार सूखे की स्थित में कम पानी वाली फसलों के बीजों की उपलब्धता एंव जागरूकता।
पशु चिकित्सा अधिकारी	टीकाकरण आदि विभागीय कार्यक्रम	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का टीकाकरण, घायलों का इलाज एवं मृत पशुओं के उचित निस्तारण की व्यवस्था

मुख्य चिकित्सा अधिकारी	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य विभागीय कार्यक्रम	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण, घायलों का इलाज एवं शवों के उचित निस्तारण की व्यवस्था।
आवास एंव नगर विकास	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	बिल्डिंग संम्बन्धी प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन, भूकम्प रोधी भवनों के निर्माण संम्बन्धी विधियों का अनुपालन।
अधिशासी अभियन्ता बाढ खण्ड	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	डूब क्षेत्र का परिवेक्षण, बॉधों का समुचित रख रखाव एव ंसुरक्षा
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम/ योजनाऐं	सूखे के समय नहरों में पर्याप्त पानी की उपलब्धकता सुनिश्चित करना

संक्षेप में कहा जाय तो अपने विभागीय दिशा निर्देशों के अधीन विकास से संम्बन्धित सभी विभाग अपनी योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वयन में आपदा प्रबन्धन से जुडे विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखें तो एक ओर स्थिर विकास की अवधारणा सफल होगी। दूसरी ओर आपदा प्रबन्धन से होने वाली क्षति भी कम होगी।

अध्याय– 4

तैयारी एवं सटीक प्रतिकिया

इस अध्याय में आपदा की तैयारी के सिलसिले में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है।

1. उपलब्ध संसाधन।
2. समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन ।
3. प्रशिक्षण, जाकरूकता एवं पूर्वाभ्यास।
4. Enicident Command System(इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम)
5. आपात कालीन केन्द्र।

01. उपलब्ध संसाधन– जनपद में कुल लगभग 20000 सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत है। सिविल पुलिस , होमगार्ड के जवान भी आपदा कार्यों हेतु लगाये जा सकते है। एन0सी0सी0 तथा एन0एस0एस0 के स्वयं सेवकों की सेवायें भी ली जा सकती है। उपलब्ध संसाधनों की सूची संलग्नक 1 में प्रदर्शित है।

02. सामुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन–सामुदाय योजना बनाने का मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्तियों और समुदाय की असुरक्षा कम की जाय और आपदाओं के विकारी असर को सहन करने की उनकी क्षमता बढाई जाए। अतः आवश्यक सामुदायिक योजना बनाने में लोगों की सहभागिता आवश्यक हेाती है। क्योंकि जवाबी कार्यवाही करने में सबसे पहले आगे आते है। आपदा की हालत में वही लोग सफल एवं उपयोगी होते है, जिनके पास चिकित्सीय या अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रषिक्षण होता है। आपदा से पहले तथा उसके पश्चात के कुछ घण्टे लेागों के प्राण बचाने में बाहरी सहायता आने में वक्त लग जाता है। ऐसी हालत में समुदाय के प्रषिक्षित सदस्य जीवन रक्षक सम्पदा के रूप में काम करते है। इसके अतिरिक्त खतरे को कम करने की दिषा में सामुदाय एक विशेष भूमिका निभाते है। समुदाय की शिक्षा और सहयोग के बिना आपदा प्रबन्ध की कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकेगी। इस बाढ प्रबन्ध योजना में समुदाय के प्रशिक्षण एवं जागरूकता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए ग्राम स्तर तक की कार्य योजना बनाने तथा उनके प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास आदि की योजना रखी गयी है। ग्राम स्तरीय कार्य योजना बनाने के लिये चैकलिस्ट ***अनुलग्नक–1*** के रूप में भाग–4 में संलग्न है।

03. प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पूर्वाभ्यास–इस क्षेत्र मे अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास के साथ ही ग्राम स्तरीय आपदा योजना बनानी होगी। प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है–

समग्र प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम–

स्तर	मुख्य आयोजक	प्रतिभागियों का विवरण	कार्यक्रम का विवरण
जिला	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	जिला स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से जुडे लोग	**1–**प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम दो भागों में चलाया जायेगा। द्वितीय भाग में पूर्वाभ्यास (Mock Drill) करके व्यवहारिक प्रषिक्षण दिया जायेगा। **2–**सभी स्तरों पर सम्बन्धित अधिकारियों संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों एंव मीडिया के दायित्वों पर भी चर्चा की जायेगी।
तहसील	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से जुडे लोग।	
ब्लाक	खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से जुडे लोग।	
ग्राम	लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी	ग्राम स्तरीय अधिकारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य आदि।	

Encident Command System- किसी दुर्घटना की स्थित में अफरा तफरी से बचाने एवं त्वरित कार्यवाही हेतु एकीकृत नियन्त्रण प्रणाली उपयोगी है। इस प्रणाली के मुख्य नियंत्रक जिला मजिस्ट्रेट है। विभिन्न आपदाओं की प्रकृति के हिसाब से भिन्न इंन्सीडेण्ट कमाण्डर बनाये गये है। मानव जनित आपदाओं जैसे जैव, परमाणु या रसायन हमले की स्थित में पुलिस अधीक्षक इन्सीडेण्ट कमाण्डर है। बाढ सूखा, भूकम्प आदि परम्परागत दैवी आपदाओं के लिये अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) इन्सीडेण्ट कमाण्डर है।

इन्सीडेण्ट कमाण्डर के मुख्य कार्य

1. आपात स्थित में संचार की समन्वित व्यवस्था।
2. त्वरित राहत /बचाव एवं खोज बलों को मौके पर भेजना एवं उनको आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।
3. विस्थापन कार्य का मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन
4. उपलब्ध संसाधनों की अपर्याप्तता की दशा में बाहरी सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाना।

आपात कालीन केन्द्र–राजस्व कन्ट्राल रूम से भिन्न पर्याप्त मानव संसाधन एवं आधुनिक संचार सुविधाओं/उपकरणों से युक्त एक आपात कालीन केन्द्र कलैक्ट्रेट फिरोजाबाद में स्थापित किया जायेगा। उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी इसके प्रभारी होंगे। सामान्य दिनों में यह केन्द्र आपदा के प्रशिक्षण , जनजागरूकता एवं पूर्वाभ्यास से संम्बन्धित कार्य देखेगा तथा सैन्य एवं अर्ध सैनिक बलों से समन्वय रखेगा। यह केन्द्र केन्द्रीय जल आयोग, मौसम विभाग आदि से प्राप्त पूर्व चेतावनियों का अभिलेखीय करण करेगा तथा सर्व संम्बधित को सूचित भी करेगा। शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्टों को संकलित एंव तैयार करने का कार्य भी करेगा।

अध्याय– 5

रायायनिक हथियारों/पदार्थों से संम्बन्धित आपदा :

अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ /जहरीली गैस , द्रव या ठोस रूप में भयानक आपदाऐं पैदा कर सकती है, जो मनुष्यों , पशुओं, फसलों आदि के लिये खतरनाक हो सकती है। इनमें से अधिकांष जलन, आन्तरिक अथवा वाह्य चोट अथवा अपंगता पैदा कर सकते है। हवा के माध्यम से फैलकर ये ऑख, फैंफडा, चमडी आदि पर घातक असर डालते है। संक्रमित खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन क्रिया पर कुप्रभाव पडता है। भूमि, जल एवं वायु पर भी इनका दुष्प्रभाव पडता है। इनकी गम्भीरता रसायन के प्रकार एवं मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार की आपदाऐं दुर्घटनावष भी हो सकती है, और आषान उपलब्धता के कारण आतंकवादी भी इसका दुरूपयोग कर सकते है।

इस प्रकार के रसायनों का वर्गीकरण उपयोग एंव विष की श्रेणी के आधार पर किया गया है।

1. उपयोग के आधार पर कुछ रसायन केवल सैन्य उपयोग के लिये है, इन्हें कैमीकल वारफेयर CWकहा जाता है। Tabum(GA), Sarin(GB),Soman(GD), VX, Sulfur Mustar(HD), Lewisite(L), Hydrogen Cyanide (AC), Cholrineआदि इनके उदाहरण है।
2. दोहरे उपयोग वाले कुछ रसायनों का प्रयोग सैन्य तथा औद्योगिक इकाईयों में किया जाता है। 2–Chloroethanol, Ammonium Bifluoride, Arsenic Trichloride, Benzilic Acidआदि इसके उदाहरण है।
3. कई औद्यौगिग रयायन भी बहुत जहरीले होते है। Ammonia, Arsine, Chlorine, Sulfur Dioxide, Hydrogen Bromideआदि इसके उदाहरण है।
4. कीटनाशकों (Pesticide) जैसे कुछ रसायनों का उपयोग कृषि कार्यों में भी होता है। Herbicidesसीधे फसलों को क्षति पहुॅचाते है।

संम्भावित स्थल

1. भीड भाड वाले इलाके सदर बाजार फिरोजाबाद।
2. टेलीफोन ऐक्सचेंज।
3. पुलिस लाइन दबरई।
4. रेलव स्टेशन।
5. बस स्टैण्ड।

कार्य विभाजन

1. हमले के दौरान विभिन्न टीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा।
2. **जॉच दल–**इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत्र को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनों की जॉच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।
01. **विसंक्रमण दल–**यह दल संक्रमण/खतरे पर नियन्त्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणों एवं क्षेत्र का विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।

02. **बचाव दल :**—यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगों की समस्याओं के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलों को अस्पताल पहुॅचाना तथा मेडीकल टीम का सहयोग करना इसका मुख्य कार्य होगा।

03. **चिकित्सा दलः**—दुर्घटना स्थल पर सथासंम्भव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।

04. **सुरक्षा अधिकारीः**—सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वय एवं अनुषासन रखे। अतिरिक्त संसाधनों की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा जैसे— जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलैंनस , वाहन, मानव श्रम।

लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना

लघु समय (0—3 वर्ष) में निम्न कार्य करने है—

1. सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान प्रतिबन्धों का पूर्व अनुपालन किया जाय।
2. अभिसूचना तन्त्र का कुशल उपयोग ।
3. खतरे और संवेदनषीलता के विश्लेषण का तत्रं विकसित करना ।
4. प्रयोगशालाओं एवं अन्य संसाधनों का विकास /सचल प्रयोगशालाओं का भी प्रयोग ।
5. फण्ड की उपलब्धता ।
6. मैडीकल टीमों का प्रशिक्षण एंव उपकरण।
7. जन—जागरूकता एवं प्रशिक्षण
8. स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विसंक्रमण तथा विस्थापन की अत्याधुनिक व्यवस्था।

मध्यम समय (05 से 5 वर्ष) में निम्न कार्य करने है—

इस अवधि में मुख्य रूप से प्रथम चरण के कार्यों की पूर्णता एवं कुशलता देखनी है।

दीर्घ काल (0—8 वर्ष) में निम्न कार्य करने है—

इसमें सारे कार्यों का उपयोग देखना है तथा नई परिर्वतनों के अनुसार उसमें परिर्वतन/संशोधन करना है इस अवधि तक निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने होंगे।

1. एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय आपात योजना सरकारी एवं प्राईवेट सभी अस्पतालों पर लागू किया जायेगा।
2. सम्पूर्ण सूचना तन्त्र विकसित करना, जिसमें अस्पताल परिवहन, पुलिस फायर आदि सभी आपातकालीन सेवाओं से संचार संम्बन्ध हो।
3. सभी प्रकार के खसरों को शामिल करने वाला प्रयोगषालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाना।

अध्याय– 6

13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत एवं वित्तपोषित ''कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम)''

राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जनपद फिरोजाबाद में 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत और वित्तपोषित ''कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम'' (क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम) जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद में क्षमता संवर्द्धन सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

जनपद में कुल 120 अतिसंवेदनशील आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर के 50 व्यक्तियों (पंचायत, सरकारी, गैरसरकारी, मीडिया, स्थानीय नागरिक एवं अन्य संगठन के लोग) को 03 दिवसीय ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर 15 मास्टर प्रशिक्षकों को चिन्हित किया गया है, जो राज्य स्तर पर 04 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित जा चुके हैं। प्रशिक्षित 15 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा जनपद में 105 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, जिनके सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

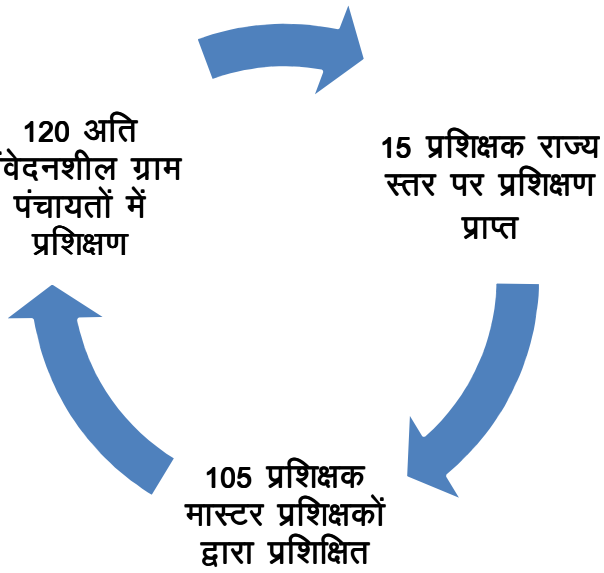

कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत जिला स्तर पर खोज एवं बचाव सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था–

वर्षा ऋतु में हर वर्ष प्रदेश के बहुत से क्षेत्र बाढ एवं जल प्लावन से प्रभावित होते हैं, जिससे फसलों के साथ–साथ सम्पत्ति की भी गम्भीर क्षति होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि पिछले वर्षो के अनुभव के आधार पर बाढ जैसी दैवी आपदा तथा उससे उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये पहले से ही तैयारी रखी जाय ताकि बाढ की स्थिति में जन एवं धन की हानि कम से कम हो और पीडित व्यक्तियों को अविलम्ब राहत पहुंचाना सम्भव हो सके।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत जिला स्तर पर खोज एवं बचाव सम्बन्धी उपकरण यथा **सर्चलाइट, लाइफ जैकेट, लाइफ ब्वाय, मेगा फोन, फोल्डेबुल स्ट्रैचर, फर्स्ट एड किट, सेफ्टी हैलमेट, फायर एक्सटिनम्यूसर, जरीकेन (वाटर कन्टेनर) आदि क्रय कर लिये गये है**। प्रमुख सचिव,उ0प्र0शासन राजस्व अनुभाग–11 के पत्र संख्या 330/1–11–2015–22(जी)/09 दिनांक 19.06.2015 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रति ग्राम पंचायत 50 व्यक्तियों को आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। बाढ प्रभावित ब्लाकों में प्रति ब्लाक 10 होमगार्डो को आपदा से बचाव हेतु प्रशिक्षित किये जाने के साथ उपकरणों से सुसज्जित भी किया गया है।

अध्याय– 7

बचाव :

क्या करें–

1. प्रभावित क्षेत्र खाली करें तथा आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नंम्बर 0512–285217 पर तथा पुलिस /अस्पताल को तत्काल सूचित करें।
2. जहरीली गैसों के प्रभाव से यदि पक्षी मरते एवं गिरते दिखाई पडे तो मकान अथवा कार्यालय जैसे बन्द ढाचे के अन्दर शरण लें तथा दरवाजे खिडकियॉ पंखे एयरकंडीसनर बन्द कर दें।
3. रेडियों, टी0वी0 की घोषणाऐं सूने और जब कहा जाय तब बाहर निकलें।
4. बाहर से घर आने पर तत्काल स्नान करें एवं कपडे प्लास्टिक के बैग में अलग रख दें।
5. यदि खुले में हो ते मुॅह व नाक गिले पकडे से बन्द रखें।
6. संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थों से दूर रहें।
7. 100 मी0 के दायरे को बन्द किया जाय।
8. हवा की दिषा में 500 मी0 तक तत्काल खाली किया जाय।
9. पुलिस/अस्पताल को तत्काल सजग किया जाय।
10. Three Colour Detector Paper (TCD) Paperऔर RBV & Residual vapeur Detection kit का प्रयोग करें Chemical agent की खोज करना।
11. Chemical ajent moniter AP2C/CAMका प्रयोग कर Nerve/Glister agentका पता करना। यदि Nerve agent है तो विष रोधी दवाओं हेतु Autojet Injectors (AJI) का प्रयोग करना । यदि Glister agent है तो चर्म संक्रमण हटाने हेतु PDJ- Personal Decontamination kit का प्रयोग करना।
12. स्पेक्ट्रोस्कोपी (Spectroscopy) आधारित CAMका प्रयोग कर सक्रमित क्षेत्र चिन्हीकरण या फ्लेम फोटोमेट्री आधारित मानिटर AP2Cका प्रयोग ।
13. विसंक्रामक सूट पहन कर क्षेत्र की सफाई सचल विसंक्रामक उपकरण और विसंक्रमण Salutionसे करना ।
14. प्रभावित व्यक्तियों को हटाने के लिये Casulty बैग का प्रयोग करना।
15. व्यक्तिगत सुरक्षा कवच किसी प्रशिक्षत व्यक्ति द्वारा निम्नवत पहनाया एवं उतारा जाय।

पहनाने का क्रम	उतारने का क्रम
1. IPG- Individual protective	1–विसंक्रमण किट से सफाई
2. Shoes	2–Shoes
3. सर्जिकल और व्यूटाइल रबर दस्ताना	3– व्यूटाइल रबर दस्ताना
4. मॉस्क एवं थैनिस्टर	4–IPG
	5– सर्जिकल दस्ताना
	6– थैनिस्टर व फेस मॉस्क

क्या न करें–

1. किसी द्रव को न छुएं।
2. स्थल/पीडित के पास भीड न लगायें।
3. हवा के अनुकूल दिषा में न जाय।
4. अफवाह न फैलाऐं।
5. बचाव में लगे लोग अपना सूट तब तक न उतारें जब तक सुरक्षित न घोषित कर दिया जाय।
6. किसी भी संक्रमित वस्तु को न छुए। इन्हें सील प्लास्टिक बैंग मं ही रखें।
7. जब तक कहा न जाए अपने शरण स्थल से बाहर न निकलें।
8. नंगे पैर न निकलें।
9. अनावश्यक टेलीफोन न करें।

विषनाशक एवं जीवन रक्षक दवाओं शोधक/विषनाशक पदार्थों/आवश्यक उपकरणों एवं आपात कालीन किट हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची ***अनुलग्नक–2*** पर भाग–4 में लगायी गयी है।

इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए Standard Operation System (SOP) इस प्रकार है।

<u>जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणः–</u>

क्र0 सं0	अधिकारी/ संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1–	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण जनसहभागिता एवं प्रर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाषील कराते हुये आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुर्नवास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण कर
	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवष्यक आधुनिक उपकरणें/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रासायनिक पदार्थों के भंणरण, परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्र करना।	खोज, बचाव, राहत सिंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था, ट्रेफिक हेतु आवष्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अर्द्ध सैन्य बलों की मॉग । स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण
3–	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सकीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रषिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवष्यक दावाइयों उपकरणें एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवे अन्य आवष्यक संसाधनों आदिके साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत षिविरों/ शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।

4–	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से संम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्कतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री राहत षिविरों की व्यवस्था।	ब्चाव राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रणव क्षति का आंकलन तथा प्रभावित/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोंटिंग आदि कार्य।
5–	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीडित व्यक्तिओं को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6–	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्त्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना । क्षतिग्रस्त पेयजल स्त्रोंतों की मरम्मत।
7–	विद्युत विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण। पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवॉछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोंकें तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसारक्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त संम्पत्तियों का पुनः निर्माण
8–	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास/आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रान्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9–	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न तेल चीनी, आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियो एवं भण्डार ग्रहों का चिन्हीकरण पेट्रोल	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।

		पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता की चिन्हींकरण।		
10–	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुॅच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पूनर्वास कार्यों में मदद करना।
11–	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय
12–	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज संम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

अध्याय– 8

परमाणु आपदा

यह मानव जनित आपदा है। परमाणु बम के हमले के अतिरिक्त दुर्घटना या आतंकवादी घटनाओं द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण के कारण इस प्रकार की आपदा आ सकती है। आतंकवादी कम शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल घनी आवादी वाले इलाकों , फसलों खाद्य भण्डारों आदि पर करके अव्यवस्था एवं अराजकता फैलाने का प्रयास कर सकते है। दुर्घटनावश यह आपदा न्यूक्लियर प्लाण्ट पर आ सकती है। या रेडियोंधर्मी पदार्थों के परिवहन के दौरान हो सकती है। इस क्षेत्र में देश की संस्था Atommic Energy Regulatory Board(AERB) है, जो मुख्य नियंत्रक है। इसका पर्यवेक्षण एवं नियत्रण परिवहन, प्लाण्ट आदि पर रहता है। मुख्य खतरा इस आपदा से तब है जब यह हमले के रूप में हो।

मानव आदि काल से प्रकृति के श्रोतों से विकिरण की मात्रा लेता आ रहा है। भारत के केरल के तटीय इलाकों, चीन, ब्राजील, ईरान आदि में इससे अधिक मात्रा में विकरण लोगों को प्रकृति से ही मिलता रहता है। रेडिएशल का उपयोग मानव हित के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है–

1. विघुत उत्पादनों में परमाणु विखडंन (Nuclear fission)का प्रयोग किया जाता है।
2. कोवाल्ट– 60 औरCs-137 का इस्तेमाल खनन तथा बैस एवं तेल उद्योग में किया जाता है।
3. Co-60या Cs--137 का Y श्रोत के रूप में मेडीकल उत्पादों, मॉस, सब्जियों आदि के परिषोधन हेतु उपयोग होता है।
4. कैंसर के इलाज हेतु Teletherapy में गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है।

   परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदा उस स्थित को कहते है जब परमाणु हमले या रिसाव के कारण विकिरण अत्यधिक हो।

परमाणु विस्फोट का प्रभाव–विस्फोट का प्रभाव परमाणु अस्त्र के प्रकार एवं विस्फोट की ऊचाई हवा के रूख आदि पर निर्भर करता है। मानव प्रकृति पर यह असर तीन प्रकार से पडता है।

1. **विस्फोट प्रभाव**–अचानक विस्फोट से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे अत्यधिक गर्मी और आस–पास के हवा में दबाब बन जाता है। गर्म और संघनित वायु फैलती है और तेजी से ऊपर उठती है, जिससे पृथ्वी पर, पानी में शक्तिशाली कम्पन पैदा होता है इससे संम्पत्ति की व्यापक क्षति होती है। तेज आवाज से कान खराब हो जाता है। इससे अत्यधिक गतिशील हवा भी चलती है, जिसमें चीजें उडने लगती है।
2. **गर्मी का प्रभाव**– अत्यधिक गर्मी तीव्र चमक वाला प्रकाश पैदा करती है। और इससे गर्मी विकिरण होता है। जिससे आग लग जाती हैं तथा कई कि0मी0 तक फैल जाती है। अन्य ज्वलनशील बस्तुओं के मिलते जाने से आग का तूफान सा आ जाता है।

3. **विकिरण**–शुरू के 1 मिनट में प्रारम्भिक विकिरण का प्रभाव कुछ दूरी में रहता है । इसके बाद गैस या धूल कणों के साथ रेडियों धर्मी पदार्थ धरती पर गिरते है। तथा कई सौ कि0मी0 तक के क्षेत्र को संक्रमित कर सकते है। जिसका असर व्यक्ति पर आजीवन आने वाली पीढियों तक पड सकता है।

उक्त से निपटने के लिये विशेष मैडीकल तैयार भी होनी चाहिए–

1. **विसंक्रमित कक्ष का निर्माण** –चिन्हित अस्पताल में पर्याप्त उपकरण एवं औषधियों युक्त एक कक्ष होना चाहिए।
2. **धूल रहित वायु**– इलाज के लिये एक ऐसा वार्ड होना चाहिए जहॉ शुद्ध वायु मिल सके।
3. **रेडियोएक्टिव** वस्तुओं के निस्तारण की पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए। मानव रहित क्षेत्र में एक टैंक होना चाहिए।
4. सुसज्जित सचल दस्ते भी होने चाहिए जो राहत बचाव कार्य कर सके।
5. सुरक्षित उपकरणों से युक्त विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित टीमें सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुॅचेगी। इसके पास आवश्यक उपकरण होंगे। उपकरणों/यन्त्रों की सूची अनुलग्न– 3 पर है।
6. पुलिस एवं फायर सर्विस के कर्मचारी भी पर्याप्त प्रशिक्षित एवं सुसज्जित होंगे।
7. जिले में रेडियोऐक्टिव पदार्थों का उपचार करने हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित स्टॉफ, डाक्टर, एम्बुलैंस एवं अस्पताल की यूनिट तैयार करनी होगी। आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के साथ ही दुष्प्रभाव कम करने एवं फैलाव रोकने तथा विसंक्रमण के लिए भी टीमें, उपकरण एवं औषधियॉ होनी चाहिए।
8. इन कार्यों के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य उत्तरदायी होंगे। प्रशिक्षण आदि के उपरान्त घटना के उपरान्त बाहरी सहायता के लिए भी उचित स्तर पर बातचीत करेंगे।
9. विकिरण मॉनिटर संवेदनशील स्थानों पर लगाए जा सकते है, जो नजदीकी थाने से जुडे हो। साथ ही पुलिस वाहनों में भी ये उपकरण लगाए जा सकते है। जिले के बम निरोधी दस्ते के पास विकिरण खोजी उपकरण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जॉच आदि कार्य के लिए फोरेंसिंक प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, जो वर्तमान में सबसे नजदीक लखनऊ में है।

घटना के दौरान–

इस प्रकार की किसी आपात स्थित में गठित दस्ते पूर्व सुसज्जित होकर घटना स्थल को प्रस्थान करें। ये दस्ते शिफ्टों में काम करेंगे। विभिन्न दस्ते एवं इसकी जिम्मेदारियॉ इस प्रकार होगी–

1. **खोजी टीम**–यह टीम मुख्य रूप से विकिरण स्थल एवं उसके स्तर की जॉच के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम जन हानि का आंकलन भी करेगी। जॉच के लिए नमूने लेकर उसे प्रयोगशाला भेजने के साथ ही किसी संदेह की दशा में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगी। किसी क्षेत्र में राहत कर्मी जा सकते है और कितना क्षेत्र प्रतिबंधित होना है, का निर्धारण भी यही टीम करेगी।
2. **विसंक्रमण टीम**–यह टीम प्रभावित व्यक्तियों, उपकरणों एवं क्षेत्र के विसंक्रमण के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम घायलों को मैडीकल टीम को देगी। कम घायल अथवा सामान्य व्यक्तियों के मैडीकल सलाह के आधार पर जाने दिया जायेगा। विसंक्रमण के लिऐ इस्तेमाल पानी को टैंकों में सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसका निस्तारण पूर्व निर्धारित स्थल पर किया जायेगा। क्षेत्र को सामान्य घोषित करने के पूर्व सघन सर्वे भी यह टीम करेगी।

3. **बचाव एवं विस्थापन टीम**–यह टीम मुख्य रूप से लोगों के विस्थापन एवं सहायता के लिए जिम्मेदार होगी, जिन्हें विसंक्रमित स्थान पर ले जाया जाएगा। लोगों को सही सूचनाऐं देकर अफवाहों पर विराम लगायेगी तथा पीडित व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुँचायेगी।
4. **मेडीकल टीम**–यह टीम घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए एवं गम्भीर रोगियों को चिन्हित कर अस्पताल भेजवाने हेतु जिम्मेदारी होगी। विसंक्रमण टीम को मेडिकल सहयोग देगी तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग देगी।
5. **समन्वय टीम**–उक्त सभी टीमों के कार्यों में समन्वय रखने, शिफ्टवार कार्य सुनिश्चित कराने तथा सूचनाओं के सही आदान–प्रदान के लिए सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम कार्य करेगी।

घटना के उपरान्त

. घायलों एवं पीडितों को हटाने के बाद क्षेत्र एवं चल, अचल सामग्री विसक्रमित की जायेगी। मृतकों के शरीर प्लाटिक बैग में पूर्व निर्धारित स्थानों या मोर्चरी में ले जाया जाएगा। मिट्टी, वायु एवं जल में विकिरण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत हन्हें विसंक्रमित किया जाऐगा। विसंक्रमण के लिए रेडियोएक्टिव सामग्री को मशीनों से इकट्ठा किया जाएगा तथा धूल को वैक्यूम क्लीनर से हटाया जाएगा। क्षेत्र को पानी से धुल कर भी विसंक्रमित किया जाएगा।

परमाणु आपदा–प्रबन्धन हेतु चेकलिस्ट

बचाव एंव राहत कार्यों का चिन्हांकन।

1. विस्थापन एवं पुर्नवास की आवश्यकताऐं।
2. विशेषज्ञ टीमों की व्यवस्था, शिफ्टवार ड्यूटी।
3. उपकरणों एवं संसाधनों को विसंक्रमण से बचाना।
4. लाउडस्पीकर, टॉर्च, जनरेटर, प्लास्टिक बैंग, एम्बुलैस, स्ट्रेचर, गैस मॉस्क आदि का उपयोग।
5. संक्रमित क्षेत्र को पृथक करना।
6. विस्थापन, मार्ग, परिवहन आदि।
7. विसंक्रमण।
8. संचार व्यवस्था।
9. रेडियोएक्टिविटी का स्तर।
10. मानव, पशु शवों एवं संक्रमित वस्तुओं का निस्तारण। निस्तारण बैंग में सील करके पूर्व निर्धारित स्थल पर ही किया जाय।
11. संक्रमित वस्तु, वस्तुएं हटायी जॉय तथा लोगों को विसंक्रमित करके ही कहीं जाने दिया जाय।
12. घटना का विवरण संक्षेप में कालक्रमानुसार तैयार करना।
13. निषिद्व क्षेत्र में जाने–आने वाले हर व्यक्ति का अभिलेखीकरण किया जायेगा। नाम, जानें आने का समय, कारण आदि।
14. प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश के समय Pocket dosimeter दिया जाय तथा उसकी जाने एवं आने के समय रीडिंग ली जाय।

लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना

इस तरह की आपदाओं से निबटने के लिए कम समय (0–3 वर्ष) में निम्न कार्य करने है–

लघु, समय (0–3 वर्ष) में निम्न कार्य करने है–

1. सुरक्षा की दृष्टि से बिद्यमान प्रतिबधों का पूर्व अनुपालन किया जाय।
2. अभिसूचना तंत्र का कुशल उपयोग।
3. खतरे और संवेदनशीलता के विश्लेषण का तंत्र विकसित करना।
4. प्रयेाग शालाओं एवं अन्य संसाधनों का विकास/संचल प्रयोगशालाओं का भी प्रयोग फण्ड की उपलब्धता ।
5. मैडीकल टीमों का प्रशिक्षण एंव उपकरण।
6. जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
7. स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विसंक्रमण तथा विस्थापन की अत्याधुनिक व्यवस्था।

मध्यम समय (0–5 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैः–

इस अवधि में मुख्य रूप से प्रथम चरण के कार्यो की पूर्णता एवं कुशलता देखनी है।

दीर्घ काल (0–8 वर्ष) में निम्न कार्य करने हे–

इसमें सारे कार्यों का उपयोग देखना है तथा नयी परिर्वतनों के अनुसार उसमें परिर्वतन/संषोधन करना है। इस अवधि तक निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने होंगे।

1. एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय आपात योजना सरकारी एवं प्राईवेट सभी अस्पतालों पर लागू किया जायेगा।
2. संम्पूर्ण सूचना तंत्र विकसित करना, जिसमें अस्पताल परिवहन, पुलिस , फायर आदि सभी आपातकालीन सेवाओं से संचार संम्बन्ध हो।
3. सभी प्रकार के खतरों को शामिल करने वाला प्रयोगषालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाना।

क्या करे– क्या न करें

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के पूर्व–

1. संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थों से दूर रहे।
2. आवास मं एक वेसमेट बनाए या चिन्हित करें जहॉ पर पूरा परिवार रह सके।
3. यदि बेसमेट न हो तो घर के सामने गढ्ढा खोदकर बंकर बना लें।
4. घर पर नष्ट व खराब न होने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ सुरक्षित रखें।
5. शरणालय में मूत्रालय व शौचालय की भी व्यवस्था रखें।
6. पर्याप्त प्रकाष व्यवस्था रखें।
7. बैट्री संचालित रेडियो रखें।
8. खिडकियों एवं शीषे के दरवाजों पर काला पेपर चिपका दें।

क्या करें परमाणु हमला एवं दुर्घटना के दौरान

1. 4 से 5 फीट गहरे गढ्ढे की तलहटी में गामा विकिरण से बचाव हो सकता है।
2. प्रकाश एवं गर्मी से सुरक्षा का कार्य बाग अथवा जंगल में हो सकता है।
3. यदि खुले में है तो तत्काल जमीन पर लेट जाय तथा तब तक पडे रहे जब तक मिट्टी कंकड–लकडी के टुकडे गिरना बन्द न हो जाय।

4. आंख एवं चेहरे को हाथों से ढंक ले।
5. कानों को भली–भॉति उंगली से बन्द कर लें।
6. यदि वाहन है तो प्रकाश होने पर चेहरा नीचे कर वाहन से दूर प्रकाश की दिशा में जमीन पर लेट कर शरण लें।

<u>क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के बाद</u>

1. चोट एंव जलन तथा क्षति अत्यधिक घबराहट पैदा पर सकते है। अतः मानसिक दृष्टि से मजबूत एवं शान्त बने रहे क्योंकि यदि दुर्घटना स्थल के बहुत पास नहीं है। और विस्फोट में बच गये है तो विकिरण के खतरे की आशंका कम हो जाती है।
2. छोटी मोटी आगों को फैलने से पहले बुझा दें।

इस प्राकर की आपदा से निपटने के लिए Standard Operation System (SOP) इस प्रकार है–

<u>जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–</u>

क्रमांक	अधिकारी /संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1	कलेक्टर जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुर्नवास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2	पुलिस अधीक्षक	खोज बचाव एवं राहत दलों का पयाप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणों/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अभिूसचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलों से समन्वय	खोज बचाव राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रया टीमों को स्थल पर भेजना कानून व्यवस्था ट्रैफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी शरणालय/राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था आवश्यकतानुसार सैन्य/अर्द्ध सैन्य बलों की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सकीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों उपकरणें एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवे अन्य आवश्यक संसाधनों आदिके साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/ शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिाक्षण, पूर्वाभ्यास। आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से संम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रणव क्षति का आंकलन तथा प्रभावित/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोंटिंग आदि कार्य।
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना	पीडित व्यक्तिओं को

		अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास	तहसील स्तरीय विभागों को कियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	राहत पहुँचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्त्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना । क्षतिग्रस्त पेयजल स्त्रोंतों की मरम्मत।
7–	विद्युत विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण। पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवॉछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोंकें तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त संम्पत्तियों का पुनः निर्माण
8–	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रषिक्षण पूर्वाभ्यास/आवश्यक आधुनिक उपकरणों / संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रान्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9–	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न तेल चीनी, आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियो एवं भण्डार ग्रहों का चिन्हीकरण पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता की चिन्हींकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10–	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों /संसाधनों के साथ पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पूनर्वास कार्यों में मदद करना।
11–	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय
12–	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज संम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

जैविक आपदा प्रबन्धन –

विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस प्राकृतिक रूप से फसल, पशु एवं मानव को महामारी के रूप में क्षति पहुॅचानते है। युद्ध में शत्रु और आतंकवादी भी इस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि का प्रयोग करके आपदा जैसी स्थितियॉ उत्पन्न कर सकते है। भौगोलिक सीमाओं से परे ये मानव से मानव में , पशुओं से मानव में और फसलों से मानव में फैला सकते है।एन्थ्रेक्स, छोटी चेचक, प्लेगं, स्वाइन फ्लू, एड्स कालरा आदि के उदाहरण है। लगभग 17 देश जैविक हथियारों पर काम कर रहे है। कई छोटे–बडे आतंकवादी गुटों के पास भी जैविक हथियार होने का अनुमान है। कोई भी व्यक्ति पशु–पक्षी या पेड–पौधे प्राकृतिक रूप से ये रोग फैला सकते है। यह जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते है। भारतीय संदर्भ मं इसके खतरे के क्षेत्र चिन्हित करने में ध्यातव्य बिन्दु है–

1. रेगिस्तानी, हिमालयी क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमले की आषंका कम है, किन्तु नौ सेना बेस या ऐसा मिलिट्री/नागरिक ठिकानों जो भौगौलियक रूप से पृथक हो निशाना बनाया जा सकता है।
2. आतंकवादी एन्थेक्स जैसा जैविक हथियार नागरिक क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकते है।
3. बर्ड फ्लू से पोल्ट्री उद्योग को व्यापक क्षति पहुॅची। साथ ही मनुष्यों को शारीरिक क्षति और परेशानी हुई। इस प्रकार कृषि उत्पाद और पशु–पक्षी भी निशाना बनाए जा सकते है। PaRtheniumysterathrus, 50 के दशक में गेहू के साथ आया और फसलो को बहुत क्षति पहुॅचायी ।
4. शहरी क्षेत्रों में अत्याधिक जनसंख्या धनत्व इस प्रकार के रोगों की स्थित में आतंक के साथ ही रोग के वास्ताविक फैलाव में अहम है। जैसे 1994 में सूरत मैं फैला प्लेग रोग।

   इसका असर दो प्रकार से हो सकता है। एन्थेक्स की श्रृखला नहीं बनती, जबकि छोटी चेचक प्लेग की श्रृखला बनती है।

निरोधात्मक उपाय–

क्षमता, मानव संसाधन विकास– प्रशिक्षण , refreks cpurses, नियंत्रण कक्षों की व्यवस्था तथा प्रशिक्षित छद्दम प्रर्दशन/अभ्यास पर केन्द्रित होना चाहिए तथा न सहभागिता जागरूकता एवं प्रशिक्षण के साथ ही इस बिन्दु पर भी केन्द्रित होना चाहिये कि किसी भी तरह उत्तेजना/अफवाह न फैलने पाये। सावधानियॉ एवं रहन–सहन, मृत्यु की दशा में निस्तारण आदि का व्यापक प्रचार प्रसार।

आधार भूत सुविधाओं का विकास–

1. हर स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क तथा जिला स्तर पर निदान केन्द्र/प्रयोगशालाओं का केन्द्रीकृत व्यवस्था की तरह विकास किया जाना होगा।
2. विभिन्न संस्थाओं की एक केन्द्रीकृत व्यवस्था जो इस तरह की आपातिक स्थित से निबटने में कुछ Model विकसित करें।
3. विद्यमान आपातिक संचारित्पन्न, स्वास्थ्य तत्रं, प्रेस ,मीडिया तथा छब्बरे का नेटवर्क बनाना तथा अर्न्तराट्रीय संस्थाओं से जोडना।
4. हर स्तर पर मेडिकल प्लानिंग, चिन्हित अस्पतालों को Upgrade करना , मोबाइल टीमें विकसित करना, इन बस में पर्याप्त दवाऐं सुसज्जित स्टाफ आदि।
5. चिन्हित क्षेत्रों में सूचना प्राप्त होने पर पानी भोजन स्वच्छता– सामग्री आदि की आपूर्ति संम्बन्धी व्यवस्था।
6. मनुष्यों पशुओं एंव फसलो पर प्रभाव के आंकलन एवं उससे निबटने के बैकल्पिक उपायों का विकास बैकल्पिक आवास, परिवहन , चारा, भोजन संग्रह ।

बचाव

सर्व प्रथम बचाव की बात आती है। बचाव मे विभिन्न पहलू है–

1. संम्वेदनशीलता का परीक्षण एवं खतरे का मूल्यांकन– विद्यमान रोग जो महामारी का रूप ले सकते है, या फिर से फैल सकते है या जानवरों के रोग जो मनुष्य मे हो सकते है की जानकारी होनी चाहिये। महत्वपूर्ण स्थान/स्थान पर पवेष में सावधानी तथा लक्षण प्रकट हाने पर गहन पर्यवेक्षण आवष्यक होगा। जानबूझकर ऐसे रोग फैलाने/युद्ध/आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर प्रतिरोध/पूर्व से ही प्रत्याक्रमण द्वारा रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है।
2. पर्यावरण सुरक्षा– पानी के श्रोतों पर सतत निगरानी होनी जरूरी है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सफाई, राग वाहक वायरस– नियत्रण, शव निस्तारण आदि भी महत्वपूर्ण बिन्दु है। रोगवाहन वायरस/मक्खी मच्छर नियंत्रण के लिये उनके उत्पादन स्थान पर सफाई, फैगिंग आदि की जा सकती है।
3. आपदा के बाद महामारी की रोकथाम– किसी आपदा के बाद महामारी की आशंका/संभावना अधिक रहती है।
4. एकीकृत रोग गिरानी व्यवस्था (IDSP –Integrated Disease Surveillance Systems)– वर्तमान व्यवस्था को पूरे देश में फैलाना होगा। निरन्तर आकडों का आदान प्रदान एवं उनका विश्लेषण जरूरी होगा।
5. **टीकाकरणः–** ऐसी दवाऐं और उसका उत्पादन करने वाली संस्थाऐं चिन्हित कर उनका उत्पादन और टीकारकरण का कार्य करना होगा।
6. स्कूल कालेज बन्द करना, मेला आदि पर रोक, कार्यालय, सिनेमा हाल बन्द कर काफी हद तक रोगों के प्रसारों को बिलम्बित किया जा सकता है।

. **क्षमता विकास–** केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर एकीकृत निर्देशन व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम से जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर तक उपयुक्त फार्मेट में सूचना आदान–प्रदान व्यवस्था।

. नियंत्रण कक्ष पर्याप्त सूचनाओं, संसाधनों और स्टाफ के साथ।

.

1. **प्रशिक्षण एंव शिक्षा–** सभी स्टाफ को पयाप्त प्रशिक्षण, प्राकृतिक और आतंकी रोग में अंतर करने की क्षमता आदि होनी चाहिए।
2. **जन जागरूकता एवं सहभागिता**– क्या करें/क्या न करें की शिक्षा, जिसमें सफाई , खान पान आदि तथा सूचनाओं को उचित रूप से पहुॅचाने हेतु निर्दिष्ट करना और सरकारी संगठनों का सहयोग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। स्कूल–ड्रामा, प्रतियोगिता, पेण्टिग आदि द्वारा जागरूकता फैलाई जा सकती है।
3. चिकित्सा मुख्य रूप से अस्पतालों में होगी। इस कारण अस्पतालों की सूक्ष्म योजना तैयार होनी चाहिए।

आधार भूत संरचनाऐं–

1. **प्रयोगशालाओं का नेटवर्क**– वर्तमान प्रयोगशालाओं को सशक्त करना होगा और जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर रोगों की पहचान आदि के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना भी करनी होगी। राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना समय की मॉग है।

   विभिन्न स्तरों पर निम्न जरूरतों के हिसाब से प्रयोगशालाओं की जरूरत है–

   1. जिला स्तर पर प्रयोगशालाऐं जो रोक के कारण का पता लगा सके।
   2. मेडिकल कालेज स्तर पर प्रयोगशालाऐं– रोग निदान को सुनिश्चित करने एवं सन्देह की स्थित में गाइड करने हेतु।

अध्याय– 9

स्वास्थ्य संम्बन्धी तैयारियॉ

ये तैयारियॉ स्टाफ एवं प्रथम सूचना देने वालों के टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए निम्न पर केन्द्रित हेागी।

- पूरा अस्पताल खाली कराया जा सकता है।
- न्यूनतम 50 से 60 मरीजों के इलाज की व्यवस्था हो तथा इसके लिए स्थान, उपकरण स्टांफ आदि हो।
- एम्बुलैस
- संचार साधन
- सरकारी एवं प्राईवेट अस्पतालों के मध्य नेटवर्किग
- मोबाईल दस्ते एवं मोबाइल अस्पताल।
- आवश्यक दवाओं/उपकरणों का भंडारण।
- त्वरित प्रतिक्रिया।
- मरीजों को लाना, पहुॅचाना।
- खतरे से सावधान करना।
- खतरे वाले क्षेत्रों मे आवश्यक सावधानी/चिकित्सा।
- मनिसक – सामाजिक देखभाल के प्रबन्ध।
- हर कार्य के परिणाम की Monitoring और मूल्यांकन

कृषि क्षेत्र में आपदा –प्रबन्धन

कृषि एवं खाद्य उद्योगों में प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त जान बूझकर आतंकी गतिविधियॉ की जा सकती है। क्षतिकारक कीडे, वैक्टीरिया, वायरस के अतिरिक्त खाद्य पदार्थो को भी जहरीला बनाया जा सकता है। आतंकी दृष्टि से यह अन्य हमलों से खतरनाक है।

वर्ष 1943 में कोट्टयम (केरल) में केले के पैीध में एक रोग, Banan Bunchy Top) श्री लंका से आया और धीरे–धीरे असम, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में फैला या प्रभावी प्रतिबधात्मक उपाय न होने से इसका बहुत खराब असर पडा और कुछ क्षेत्रों से केले की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी।

वर्तमान तैयारी– कृषि मंत्रालय के अधीन देना में अर्न्तराष्ट्रीय हवाई एव जल अड्डो पर 29 Plant Quarantine केन्द्र है, जो आयातित अनाज , बीज और अन्य कृषि उत्पादों की जॉच करते है, किन्तु इनमें से कुछ के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है।

भविष्य के लिए एक आपातकालीन केन्द्र बनाना होगा जो इस प्रकार की परिस्थितियों में समन्वय का काम करे। कोई आपात स्थित न होने की दशा में यह निगरानी अर्न्तराष्ट्रीय अनुभवों पर कार्य कर सकता है। यह केन्द्र अति सुरक्षित होना चाहिए तथा संवाद की अत्याधुनिक सुविधाऐं भी इसमें होनी चाहिए।

कार्य विभाजन

हमले के दौना विभिन्न टीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत किया जायेगा।

1. जॉच दल– इसका मुख्या कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत्र को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनों की जॉच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।
2. **विसंक्रमण दल**–यह दल संक्रमण/खतरे पर नियन्त्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणों एवं क्षेत्र का विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।
3. **बचाव दल** :–यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगों की समस्याओं के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलों को अस्पताल पहुॅचाना तथा मेडीकल टीम का सहयोग करना इसका मुख्य कार्य होगा।
4. **चिकित्सा दलः**–दुर्घटना स्थल पर सथासंम्भव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देाग तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।
5. **सुरक्षा अधिकारीः**–सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखे। अतिरिक्त संसाधनों की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा जैसे– जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलैंन्स , वाहन, मानव , श्रम।

क्या करें जैविक हमला या दुर्घटना के दौरान

1. शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें। नाखून कटे हो तथा खाने के पहले हाथ साबून से धोये।
2. पानी उबालकर पिये।
3. सुरक्षित सब्जियों आदि एवं खाद्य पदार्थों का सेवन करें।
4. उपलब्ध टीकाकरण का उपयोग करें।
5. नई सब्जियों को डिटरजैन्ट से धोकर पकाऐं।
6. किसी तरह की बीमारी की सूचना आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष कथवा स्वास्थ्य विभाग को दें।
7. संक्रमित खाद्य पदार्थों बस्तुओं फसलों इत्यादि को नष्ट करने में सहयोग प्रदान करें। ६
8. मच्छरदानी का प्रयोग करें।

क्या न करें।–

किसी प्रकार का अपशिष्ट विशेष रूप से खाद्य अपशिष्ट एकत्रित न होने दें।

1. पानी एकत्रित न होने दें।
2. संक्रमित अथवा वासी खाद्य एवं पेय पदार्थो का सेवन न करें।

जैविक आपदा प्रबन्धन के लिये स्टैण्डर्ड आपरेटिंग सिस्टम (SOP)

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–

क्रमांक	अधिकारी / संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुर्नवास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2.	पुलिस अधीक्षक	खोज बचाव एवं राहत दलों का पयाप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणों / संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अभिूसचना एकत्रीकरण सैन्य / अर्द्ध सैनिक बलों से समन्वय	खोज बचाव राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रया टीमों को स्थल पर भेजना कानून व्यवस्था ट्रैफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी शरणालय / राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था आवश्यकतानुसार सैन्य / अर्द्ध सैन्य बलों की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सकीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों उपकरणें एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवे अन्य आवश्यक संसााधनों आदिके साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों / शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिाक्षण, पूर्वाभ्यास। आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से संम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रणव क्षति का आंकलन तथा प्रभावित / पीडितों / मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोंटिंग आदि कार्य।
5.	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी	पीडित व्यक्तिओं को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों / पीडितों / मृतकों आदि की सूचीकरण,

			कार्यवाही करना।	रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6.	जल निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्त्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना । क्षतिग्रस्त पेयजल स्त्रोंतों की मरम्मत।
7—	विद्युत विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण। पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवॉछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोंकें तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त संम्पत्तियों का पुनः निर्माण
8—	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रषिक्षण पूर्वाभ्यास/आवश्यक आधुनिक उपकरणों / संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रान्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9—	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न तेल चीनी, आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियो एवं भण्डार ग्रहों का चिन्हीकरण पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता की चिन्हींकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10—	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों /संसाधनों के साथ पहुॅच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पूनर्वास कार्यों में मदद करना।
11—	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय
12—	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज संम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

अध्याय– 10

अग्निकांड

जनपद फिरोजाबाद के लिये इस आपदा की प्रासंगिकता है। इस कारण इसे आपदा प्रबन्धन योजना मं शामिल किया गया फायर बिग्रेड के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। इस दिशा में निम्न कार्य योजना में शामिल की जानी आवश्यक है।
मैं फायर स्टेशनों की स्थापना।

1. फायर स्टेशनो की स्थापना।
2. वाहनों की संख्या बढाया जाना।
3. सभी विद्यालयों में /बडी संरचनाओं में फायर फाइटिंग व्यवस्था।
4. कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराया जाना।

अग्निकांड से बचाव हेतु क्या करें।

1. अपने मकान/स्थान को खाली करने की पूर्व योजना दिमाग में रखे तथा पूर्वाभ्यास भी करें।
2. मकान/स्थान से निकलने के दो मार्ग सोचकर रखें।
3. फायर एक्सट्युगिसर लगवाऐं तथा चलाना भी जानें।
4. आग/कार्बन मोनोआक्साईड एलार्म लगवाए तथा उसे ठीक दशा में रखें।
5. मकान/स्थान के बाहर किसी खुली जगह में मिलने का स्थान भी सोचकर रखें।
6. मकान में एल0पी0जी0 गैस की पाइप खराब होने से पहले बदल दे।
7. बच्चेां को ज्वलनशील पदार्थ से दूर रखें।

क्या करें अग्निकांड के दौरान

1. आग या कार्वनमोनोआक्साईड की सूचना पर शान्ति से किन्तु जल्दी मकान/स्थान खाली करें।
2. कोई वस्तु/दरवाजा छूने से पहले समझ ले कि वह वहुत गर्म न हो।
3. धुर्वे की स्थित में जमीन/फर्श से सटकर रहें क्यों कि धूर्वा उपर उठता है।
4. फायर/पुलिस से संम्पर्क करें।
5. पेट्रोल से लगी आग पर पानी काम नहीं करता तथा विद्युत से लगी आग पर पानी डालने पर बिजली फैलने का खतरा रहता है। अतः पेट्रोल से लगी आग में मिट्टी/बालू का इस्तेमाल करें तथा बिजली से लगी आग में विद्युत कनेक्शन काटने के बाद पानी डालें।

क्या करें अग्निकाण्ड के उपरान्त

1. घायलों को खुले एवं ठण्डे स्थान पर रखे तथा निकटतम चिकित्सालय पर ले जाय।

क्या न करें।

1. जलती मोमबत्ती अगरबत्ती गैस मिट्टी के तेल का उपयोग अलॉव चूल्हे बीडी या सिगरेट न छोडें।
2. घर में अनावश्यक एव अधिक मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ न रखें।
3. घटना के दौरान घबरायें नहीं ।
4. बिजली के तार पर कपडें न फैलाऐं।
5. सडक पर बिजली विभाग के गिरे तारों की उपेक्षा न करके तत्काल विभाग को सूचित करें।
6. फसलों के मौसम में खेतों के पास आग न जलाऐं।

अध्याय– 11

भूकम्प

जनपद फिरोजाबाद में भूकम्प का कोई इतिहास नहीं है किन्तु संम्बेदनशीलता की दृष्टि से जनपद खतरे के जोन–3 में है तथा जोन–4 नजदीक है। इस कारण भूकम्प की दृष्टि से जनपद संम्बेदनशील माना जायेगा।

भूकम्प से होने वाली क्षति का सबसे बडा भाग मकानों के टूट कर गिरने के कारण होता है। मकानों के टूटने से होने वाली संम्पत्ति की क्षति के साथ इसके मलवे में दबकर व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है और इससे स्थित अत्यधिक भयावह हो जाती है। इसी कारण–

भूकम्प से संम्बन्धित आपदा के बचाव हेतु भूकम्परोधी मकान बनाना मुख्य योजना में शामिल किया गया है। इसके लिये लोगों के प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ ही पर्याप्त संख्या में दक्ष अभियन्ता नगर नियोजक एवं क्रियान्वयी संस्थाओं की आवश्यकता है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Metrological Deportment) भूगर्भ अध्ययन एवं पर्यवेक्षण की नोडल ऐजेन्सी बनायी गयी है। तथा Burean of Indian Standard भारती मानक ब्यूरो को भूकम्प रोधी मकानों की विधि एवं न्याय सुरक्षा मानकों हेतु नोडल बनाया गया है।

पुनर्वास और उपाय

कमजोर /पुराने /नुरक्षित ढाचों का चिन्हीकरण।
पुल आदि भूकम्प रोधी।
बिल्डिंग प्लान लागू करना।
इंजीनियरों का प्रशिक्षण/मिस्त्रियों का प्रशिक्षण
तहसील/विकास खण्ड/ग्राम/विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास।
चिकित्सीय तैयारियॉ
शरणालयों का चिन्हांकन।

क्या करें भूकम्प के पूर्व

अपने परिवार को भूकम्प के खतरों से अवगत कराये तथा बचाव के तरीके भी बतायें ।
स्थानीय पुलिस थाना फायर स्टेशन अस्पताल का फोन नंम्बर रखें।
बच्चों को बताऐं कि आपात स्थित में वे स्कूल में ही रूकें।
पूर्व सूचना की दशा में आपातकालीन किट कुछ खाद्य व पेय पदार्थ अपने साथ रखें।
अपना घर/कार्यालय भूकम्परोधी बनवाऐं।

क्या करें भूकम्प के दौरान

यदि समय हो तो घर/कान से वाहर किसी खुली जगह में जहॉ बिजली के पोल व पेड आदि न हो पहुॅचे।
मकान में ही दरवाजा व मेज आदि के नीचे शरण लें।

क्या न करें।

अफवाह न फैलाऐ
किसी व्यक्ति या समुदाय संस्था को दोषारोपण न करें।
यदि यात्रा में हो तो वाहन पुल या ओवर ब्रिज आदि के ऊपर या नीचे न रखें।
आपदा प्रबन्धन के लिये स्टैण्डर्ड आपरेटिंग सिस्टम SOP –

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणः–

क्र0 सं0	अधिकारी/ संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1–	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिाक्षण जनसहभागिता एवं प्रर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील कराते हुये आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुर्नवास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण

2—	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रासायनिक पदार्थों के भंणरण, परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्र करना।	खोज, बचाव, राहत सिंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था, ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य /अर्द्ध सैन्य बलों की मॉग । स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण
3—	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सकीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दावाइयों उपकरणें एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवे अन्य आवश्यक संसााधनों आदिके साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/ शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4—	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से संम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री राहत षिविरों की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रणव क्षति का आंकलन तथा प्रभावित/पीडितों/ मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोंटिंग आदि कार्य।
5—	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए	पीडित व्यक्तिओं को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति

			आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	का आंकलन तथा प्रभावितों/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6–	जल निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्त्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्त्रोंतों की मरम्मत।
6–	लोक निर्माण विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना		क्षतिग्रस्त भवनों, पुलो सडको आदि की मरम्मत/निर्माण करना क्षति का मूल्यांकन कर आंकलन के अनुसार धन की मॉग करना।
8–	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रषिक्षण पूर्वाभ्यास/ आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रान्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9–	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवष्यक खाद्यान्न तेल चीनी, आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियो एवं भण्डार ग्रहों का चिन्हीकरण पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता की चिन्हींकरण।	मॉग के अनुसार आवष्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवष्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।

10 –	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों /संसाधनोंके साथ पहुॅच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यों मं मदद करना।
11 –	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय
12 –	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज संम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।
13 –	विकाश प्राधिकरण एवं शहरीय नगर निकाय	भूकम्प रोधी मानकों का दृढ अनुपालन कमजोर ढाचों को चिन्हीत कर उसके संम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करना।		अपने संसाधनों से मलवा आदि की सफाई का कार्य।
14 –	विकास विभाग			आवासहीनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

अध्याय– 12

चक्रवात

वातावरण में कम दबाब का क्षेत्र बनने से तेज हवायें उसके चारों ओर चलने लगती है। जिससे चक्रवात आते है। चक्रवात में तेज ऑधी एवं खराब मौसम का भी आगमन होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह हवा घडी की सूई की उत्टी दिषा में चलती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध मं घडी की सूई की दिषा में चलती है। हवा की गति जितनी तेज होती है, नुकषान की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। भारत के संन्दर्भ में चक्रवात का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अरब सागर एवं बंगाल की खाडी के तटीय इलाकों में पडता है। आजमगढ जनपद में भीषण चक्रवात का कोई इतिहास नही रहा है, फिर भी समय समय पर इसका असर देखने को मिलता है। तेज ऑधी एवं तूफान से पेड गिर जाते है। पेड के गिरने से विद्युत के खम्भे एवं तार टूट जाते है, जिससे बिजली की समस्या पैदा होती है तथा करेण्ट से यदा कदा दुर्घटनायें हो जाती है, पेडों एवं कच्चे मकान/डण्डई के गिरने से जन हानि भी हो जाती है।

चक्रवात की दृष्टि से की गयी जोनिंग से स्पष्ट है कि आजमगढ अपेक्षाकृत कम संम्बेदनषील जोन में आता है।

पूर्व तैयारी–

1. **पूर्व सूचना प्रणाली**– भारतीय मौसम विज्ञान विभाग सहित अनेक संस्थायेंइ स कार्य में लगी है। चक्रवात आने की पूर्व सूचना मिलने से सतर्क दृष्टि रखते हुए जनहानि से बचा जा सकता है।
2. **मकानों की संरचना**– मकानों के निर्माण के समय उन्हें चक्रवाता रोधी बनाया जाय।
3. **जन जागरूक एवं प्रशिक्षण**– जिला तहसील विकासखण्ड एवं ग्राम स्तरों पर विभिन्न सरकारी गैर सरकारी एजेसियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को शामिल कर जन जागरूकता एंव प्रषिक्षण से चक्रवात से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।
4. **रेन गेजों की स्थापना**–परम्परागत रूप से तहसील मुख्यालयों मं रेन गेजों की स्थापना हुई है, जिससे वर्ष संम्बन्धी आंकडे इकट्ठे किये जाते है, किन्तु आधुनिक संचार प्रणाली के अर्न्तगत रेन गेजों की स्थापना की आवश्यकता है।
5. **चिकित्सकीय तैयारी**–जिला एंव तहसील स्तर पर सचल दस्ता तैयार रहे जिसे आवष्यकतानुसार भेज कर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।
6. **राहत वितरण**–पीडितों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध करायी जाय।

अध्याय–13

बाढ आपदा प्रबन्धन

इस जनपद में छोटी –बडी कुल 06 नदियॉ तथा नाले है । इनमें यमुना नदी से तहसील फिरोजाबाद व तहसील टूण्डला,शिकोहाबाद तथा, सेंगर नदी से तहसील फिरोजाबाद व सिरसा नदी से फिरोजाबाद शिकोहाबाद सिरसा, सेंगर अरिन्द आवा व ईशन नदी से तहसील जसराना के ग्राम प्रभावित होते है। जनपद में बाढ़ का कोई इतिहास नही रहा है।

जनपद की संम्भावित बाढ के दृष्टिगत तहहसीलवार स्थापित किए जाने वाली बाढ चौकियों , राहत केन्द्रों व राहत शिविरों का विवरण निम्नवत है–

क0सं0	तहसील	बाढ चौकियों की संख्या	राहत केन्द्रों की संख्या	राहत शिविरों की संख्या
1.	सदर	5		
2.	टूण्डला	6		
3.	शिकोहाबाद	8		
4.	जसराना	11		
5.	सिरसागंज	04		
योग	05	34		

सुरक्षा सुझाव–

. घर के सभी सदस्यों को जनदीकी सुरक्षित आश्रम का पता हो।
. टगर आपको घर बाढ प्रभावित क्षेत्र हो तो मकान मजबूती से सीमेन्ट आदि से बनवाऐं।
. मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते है। आप ऐसा घर बनवा सकते है जिसकी दीवारें लोकल ईटों से उस ऊचाई तक बना हो जहॉ तक बाढ आती है।
. आपात कालीन बॉक्स हमेशा अपने पास रखें।
. एक टोर्च, रेडियों टार्च बैट्री, साथ रखे।
. पनी, सूखा भोज्य पदार्थ (चूडा, मूडी, गुड , बिस्कुट आदि) कैरोसिन तेल मोमवत्ती और माचिस आदि हमेशा स्टांक कर रखें।
. पालीथीन बैग या वाटरप्रुफ बैग आदि रखें जिसमें कपडे, मंहगे सामान, छाता, चीनी, नमक प्रथमिक उपचार बॉक्स और मजबूत रस्सी अपने पास हमेशा रखें।

.

. **<u>जब बाढ आने की चेतावनी सुनें:–</u>**
. अफवाह पर ध्यान न दें, और घबरायें नहीं।
. सूखे भोज्य पदार्थ कपडे, पेय जल तैयार रखें।
. बैलगाडी, कृषि उपयुक्त सामान या मशीन और पालतू जानवर को ऊॅची सुरक्षित जगह पर ले जाऐं।
. यह सोच कर तय कर ले कि अगर बाढ आ गयी तो कौन सा सामान आप फैंक सकते है।
.

<u>बाढ़ के दौरान</u>–
. उबला हुआ पानी पीए।
. खाना ढक कर रखें।
. कच्चा चाय, चावल का पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से संम्पर्क करें।
. बच्चों को भूख न रहने दें।
. ब्लीचिंग पाउडर आदि से घर के आस –पास साफ रखें।
. अधिकारी की सहायता सामग्री बाटने में मदद करे।

<u>अगर जगह खाली करनी हो तो</u>
. सबसे पहले गर्म कपडे जरूरी दबाऐं कीमती वस्तु निजी कागज आदि को वाटर प्रूफ बैंग पालीथिन में डाल दे।
. स्थानीय स्वयं सेवक (अगर हो तो) को सूचित करें आप जहॉ जा रहे है।
. सबसे ऊपर बिजली के सामानों को रखें।
. मैन पावर बन्द कर दें।
. चाहे आप रहे या सुरक्षित जगह पर जाए, पर शौचालय मे बालू से भरी बोरियॉ डाले और नाली या फिर भी प्रकारके छेद को कपडें से बन्द कर दें, ताकि पानी वापस ना आये।
. घर में ताला लगाए और बताए हुए सुरक्षित रास्ते का उपयोग करें।
. अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोषिष न करे।

अगर बाढ के दौरान आप घर पर ही रूके हो या वापस लौटे हो तो:–
. रेडियो द्वारा ताजा जानकारी व सुझाव लें।
. बच्चों को बाढ के पानी के पास या पानी में न खेलने दें।
. बाढ के पानी में जाने से बचें ।
. अगर पार करना आवश्यक हो तो जरूरी कपडे व जूते पहने गहराई व बहाव लकडी की सहायता से जॉचे ।
. बिजली वाली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें। जब तक कि उसे जॉचा न गया हो हो सकता है कि उसमें बाढ का पानी गया हो।
. बैसा कोई भी भोज्य पदार्थ का सेवन न करें। जो कि बाढ के पानी से प्रभावित हुआ हो।
. नल के पानी को उबालकर तब तक पीएं जब तक कि जल विभाग उसे सुरक्षित न घोषित कर दे। हैण्डपम्प का पानी जमा करें और क्लोरीन की गोलियॉ पानी में डाल कर पीयें।
. सॉप से बचकर रहें।

बाढ़ आपदा में बनायी गयी कार्य योजना (SOP)एवं उसके लागू करने के लिये दायित्व इस प्रकार है–

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–

क्रमांक	अधिकारी /संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिष्चित कराना। प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुर्नवास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2.	पुलिस अधीक्षक	चिन्हित स्थलों पर बायरलैस सैट की व्यवस्था करना।	खोज बचाव राहत राहत कार्यों में सहयोग करना बन्धों की सुरक्षा, पेट्रोलिंग	शरणालयों मे पुलिस प्रबन्ध
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सकीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दावाइयों उपकरणें एवं अन्य आवष्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवे अन्य आवश्यक संसााधनों आदिके साथ भेजना।	चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। राहत शिविरों/ शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से संम्बन्धित व्यवस्था।	आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रणव क्षति का आंकलन तथा प्रभावित/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोंटिंग आदि कार्य।
5.	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य। राहत शरणालय आदि की व्यवस्था करना।
6.	जल निगम	बाढ से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्त्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना । क्षतिग्रस्त पेयजल स्त्रोंतों की मरम्मत।
7.	कृषि विभाग			फसलों की क्षति का मूल्यांकन, कृषकों को अगैती/बैकल्पिक फसलों

				के बीज/सुझाव आदि उपलब्ध कराना।
8.	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास/आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रान्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न तेल चीनी, आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियो एवं भण्डार ग्रहों का चिन्हीकरण पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता की चिन्हींकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10.	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनोंके साथ पहुॅच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पूनर्वास कार्यों मं मदद करना।
11.	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं से आदान प्रदान
12.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज संम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।
13.	बेसिक शिक्षा विभाग		बाढ क्षेत्र के स्कूलों को सुरक्षा की दृष्टि से बन्द कर देंगे तथा विद्यालयों को शरणालय के रूप में इस्तेमाल करने हेतु उपलब्ध करायगें।	
14.	बाढ खण्ड	बन्धों का अनुशरण आवश्यक सामग्री का पूर्व से भण्डारण, पूर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना	बन्धे की सुरक्षा हेतु नियमित पेट्रोलिंग नियमित जलस्तर एवं पूर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना	क्षतिग्रस्त बन्धे के मरम्मत /पुर्ननिर्माण की व्यवस्था करना।
15.	विकास विभाग			आवासहीनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

अध्याय– 14

सूखा (Drought)

जनपद मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। इसकी अधिकांश आवादी कृषि पर निर्भर है। खेती हेतु सिंचाई के लिये जनपद में उलब्ध संसाधन एवं खेती के क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है।

जनपद का कुल क्षेत्रफल– 255733 है0

जनपद में सरकारी चालू नलकूपों की संख्या– 326

नहर के कुल टेलों की संख्या– 49

उक्त के अतिरिक्त प्राईवेट बोरिंग से सिंचाई की सुविधा है। इसके बावजूद अवर्षण की स्थित में सूखा की समस्या पैदा हो जाती है। यद्यपि जनपद में सूखे से कभी अकाल या महामारी जैसी स्थित नहीं आयी है, न ही कोई बडी समस्या उत्पन्न हुई है। फिर भी फसलों को क्षति के कारण किसानों को नुकसान उठाना पडता है। पेयजल की भी कोई बडी समस्या बिगत समस्या बिगत वर्षो में नही आयी है, किन्तु जलस्तर नीचे चला जाने से कठिनाईयॉ पैदा होती है। वर्ष 2014 में जनपद सूखाग्रस्त घोषित हो चुका है।

सूखे के संम्बन्ध में SOPनिम्न प्रकारहै–

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–

क्रमांक	अधिकारी /संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवष्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिष्चित कराना। प्रषिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को कियाषील करते हुये आवष्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिकिया	बचाव, राहत एवं पुर्नवास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2.	पुलिस अधीक्षक			शरणालयों मे पुलिस प्रबन्ध
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दावाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना	राहत शिविरों शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था ।	
4–	अपर जिलाधिकारी (वि0 /रा0)		बचाव, राहत एवं पुनर्वास का प्रभावी अनुश्रणव क्षति का आंकलन तथा सहायता वितरण।	
5–	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागों को	क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों /पीडितों /

			क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य। राहत शरणालय आदि की व्यवस्था करना।
6—	जल निगम	पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्त्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना । क्षतिग्रस्त पेयजल स्त्रोंतों की मरम्मत।
7—	कृषि विभाग			फसलों की क्षति का मूल्यांकन, कृषकों को अगैती/बैकल्पिक फसलों के बीज/सुझाव आदि उपलब्ध कराना।
8—	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न तेल चीनी, आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियो एवं भण्डार ग्रहों का चिन्हीकरण पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता की चिन्हींकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल , चीनी, पेट्रोल , डीजल, एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
9—	सूचना विभाग		मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं से आदान प्रदान
10—	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज संम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था टीकाकरण
11—	सिंचाई खण्ड	नहरों में पानी की उलब्धता सुनिश्चित कराना	नहरों द्वारा पानी की आपूर्ति करना तथा तालाबों को भरना	
12—	विद्युत विभाग		विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना	
13—	नलकूप खण्ड	नलकूपकों को चालू हालत में रखना तथा अनुश्रवण कार्य	नलकूपों से पानी की आपूर्ति करना तथा तालाबों को भरना	
14—	विकास विभाग		मनरेगा आदि कार्यक्रमों में रोजगार सृजन कार्य	मनरेगा आदि कार्यक्रमों में रोजगार सृजन कार्य

आकाशीय बिजली

वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली से जन धन की हानि होती है।
बज्रपात के दौरान निम्नलिखित सावधानियॉ ध्यान में रखीं जायं–

1. ऑधी आने के पहले टी0वी0 रेडियो और कम्प्यूटर सभी का मोडेम और पॉवर प्लग निकाल दें।
2. सारे पर्दे लगा दें। खिडकियॉ बन्द रखें। बिजली से चलने वाली सभी वस्तुओं का इस्तेमाल न करें।
3. टेलीफोन का इस्तेमाल न करें। आपातकाल में फोन करें पर विद्युत चालक वस्तुओं को न छुए खाली पैर फर्श या जमीन पर न खडे रहे।
4. जब किसी पर बिजली गिरती है तो वह जल नहीं जाता बल्कि उसके हृदय और श्वास नली पर असर होता है।
5. अगर आपके कपडे गीले है तो आप पर बज्रपात का उतना असर नही होगा क्यों कि आवेगित चार्ज कण गीले कपडे से गुजर जाएगा न कि शरीर से।
6. एक ही जगह पर बज्रपात कई बार हो सकता है। बिजली गिरने की आशंका होने पर किसी मकान का सहारा लें मैदान में या पेड के नीचे नहीं खडा होना चाहिये क्यों कि प्रायः बिजली कोई आश्रय लेकर गिरती है।
7. बडे मकानों/संरचनाओं पर तडित चालक अवश्य लगवाया जाय।

अनुलग्नक–1

ग्राम स्तरीय कार्य योजना की चेकलिस्ट–

1. गॉव की भौतिक स्थित।
2. कुल मकान।
3. गॉव के विभिन्न संसाधन।
4. शरणालय, सुरक्षित भवन, मन्दिर आदि।
5. विद्यालय एवं शिक्षा सुविधा।
6. पीने के पानी की सुविधा।
7. चिकित्सीय सुविधा जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।
8. गॉव की सडकें।
9. खतरे की प्रवृति एवं सुरक्षित क्षेत्र ।
10. ऊर्जा स्थापना।
11. टेलीफोन, पोस्ट आफिस एवं अन्य निर्माण।
12. अत्यधिक ऊॅची भूमि
13. चिकित्सा एवं सफाई व्यवस्था की स्थिति।
14. आपदा के अर्न्तगत निर्माण एवं मरम्मत निधि।
15. चिन्हित स्वयं सेवकों का परिचय एवं उनका प्रशिक्षण।
16. चिन्हित सम्पत्ति एवं जनता की सुरक्षा हेतु सावधानी।
17. परिवारों की संख्या पुरूष महिला बच्चे असमर्थ और अति संम्बेदनशील वर्ग।
18. आजीविका के विभिन्न नाव कृषि उपकरण खाद्य भण्डारण करघा तथा कुम्हार का चाक आदि।

अनुलग्नक–2

विषनाशक एवं जीवन रक्षक दवायें

1- Inj. Atropine
2- Inj. PAM- 20 ml.
3- Inj. BAL
4- Inj. Sodium Nitrite
5- Sodium Thoisulphate
6- Inj. Amy 1 Nitrite
7- Postassium Chlorode Oral
8- Inj. Soda Bicarb
9- Oxygen Cylinder
10- Ambus Bag 250/500 ml
11- Tab. Paracitamol
12- Tab. Ibubrofen 400
13- Ciprofloxasin Eye Drops/Onit.
14- ORS Powder
15- Diazepam

शोधक/विसंक्रमक पदार्थ

1- Dodium Hypochlorite Soulution- (Storage stability limited, not more than a month)
2- Bleaching Powder- (Storage stability limited, not more than amonth)
3- Potassium Permanganate.
4- Charcoal Powder.
5- Caustic Soda.
6- Soap, Detergent and water
7- Fuller's earth
To be replaced every month
To be replaced every 3 months.

सहयोगी उपकरण

1- Public address system.
2- Torch or emergency light.
3- Stretchers.
4- Recovery/refuse bin.
5- Earth digging equipment.
6- Fire fighting exinguishers.
7- Water hoses.

आपात कालीन किट (Component of Emergency kits)

1- Detector Paper (Three Colour Detector Paper)
2- Residual Vapour Detection Kit (Detector Tube)
3- CAM
4- AP2C
5- NBC Suit permeable with hand gloves and boot
6- Casualty Bag Full
7- Casualty Bag Half
8- Gas Mask (Respirator) with disposable Filters
9- Integrated Hood Mask
10- Canister
11- NBC Suit Impermeable (Ensemble)
12- Auto Injector(Atropine PAM)
13- Resuscitator
14- Leak Tester for Mask
15- Medical kit (First Aid Kit Type B)
16- Personal Decontamination kit
17- Portable Decontamination apparatus
18- Decontamination Solution& Decontaminants(Appendix-1)
19- Wator Poioon Dctoction kit (Doctor Cyanide, Arsonic, Mercury, Never, agents in water)

अनुलग्नक–3

परमाणु हमले/विकिरण **की स्थिति में रिस्पांस टीमों के लिए आवश्यक उपकरण एवं यत्रं**

विशेष प्रतिक्रिया टीमों के लिए निम्न उपकरणों एवं यत्रों की आवष्यकता होगीः–

1- Ambulance with radiation monitoring and decontamination facility
2- Portable gamma ray spectrometer for isotope detection
3- Rewuirement for aerial survey monitoring.
   a- Aerial monitoring system
   b- Monitors, protective equipment, PC/laptop, etc.
4- Environmental Radiation Monitor with Navigational Aid (ERMNA) with monitoring vehicle.
5- Alpha, beta and gamma counting setup.
6- Digital dosimeter
7- GPS for monitoring van
8- T.L. dosimeter
9- Portable contamination monitor.
10- CBRN suit with respirator, rubber clothes, gloves and gum boots
11- Dust mask
12- Comfo respirator
13- Decontamination kit including monitoring facility
14- Potassium lodide/ Potassium lodate tablets
15- Operational manuals for all equipment training ans guidance literature ‘
16- Protective coverall, cotton gloves, socks and shoes
17- Electric generator
18- Torch
19- Binoculars
20- Miscellaneous sampling kits. (a) Charcoal papers and cartridges (for iodine sampling/protection)
(b) Plastic sheet (for packing of contaminated material)
(c) Spare batteries
21- Micro R Survey mete
21- Mini Red meter
22- GM Survey meter
23- Teletector
24- Portable Alpha Contamination monitor
25- First aid kits
26- Radiation tage/Symbols
27- PA system
28- Battery operated air samper with filter paper
29- Cordoning tape
30- Tongs(2 ft) and lead flask of l” thickness and 5” diameter
31- Breathing apparatus set with spare cylinders

अनुलग्नक–4

विभन्न आपदाओं में क्षति/आवश्यक मूल्यांकन हेतु प्रारूप –

(क) भूकम्प की क्षति के मूल्यांकन का प्रारूप–

1. घायल /मृत व्यक्तियों की संख्या–
2. घालय/मृत पशुओं की संख्या–
3. पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानेां की संख्या एवं अनुमानित मूल्य–
4. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या एवं अनुमानित मूल्य–
5. विद्युत को हुई क्षति–
6. सडक, पुल को हुई क्षति–
7. मृत व्यक्तियों/पशुओं के शवों के निस्तारण की समस्या–
8. चिकित्सा सेवाओं की बहाली की समस्या–
9. विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्या–
10. जलापूर्ति में आ रही समस्या–
11. महामारी की समस्या'–
12. कानून व्यवस्था की समस्या–
13. परिवहन की समस्या–
14. खाद एवं रसद की समस्या–